

न्यायालय अपर जिला कलक्टर (द्वितीय) जोधपुर
पीठासीन अधिकारी महिपाल कुमार आर.ए.एस.

राजस्व अपील संख्या : 20/2018

| अपीलान्ट | बनाम | रेस्पोजेन्ट |
|--|------|--|
| 1. मंछाराम पुत्र श्री मोहनराम जाति माली निवासी-बासनी चोलावता तहसील भोपालगढ जिला-जोधपुर | | 1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार भोपालगढ जिला-जोधपुर |

राजस्व अपील अंतर्गत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम विरूद्ध आदेश दिनांक 25.01.2018 जो तहसीलदार भोपालगढ द्वारा प्रकरण संख्या 317/2017-18 अनवान सरकार बनाम मंछाराम में पारित किया गया।

- उपस्थिति:-
1. अपीलान्ट की ओर से अधिवक्ता श्री सिद्धार्थ परिहार उपस्थित।
 2. रेस्पोजेन्ट की ओर से राजकीय अधिवक्ता श्री पर्वतसिंह भाटी उपस्थित।

निर्णय

दिनांक: 30.05.2019

अपीलान्ट मंछाराम पुत्र श्री मोहनराम जाति माली निवासी ग्राम बासनी चोलावता तहसील भोपालगढ जिला जोधपुर की ओर से यह अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम के तहत रेस्पोजेन्ट राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार भोपालगढ जिला जोधपुर के विरूद्ध तहसीलदार, भोपालगढ द्वारा दिनांक 25.01.2018 को प्रकरण संख्या 317/2017-18 अनवान सरकार बनाम मंछाराम में पारित आदेश को निरस्त कराने हेतु पेश की गयी है।

अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत अपील का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि हल्का पटवारी एवं भू अभिलेख निरीक्षक भोपालगढ ने एक अतिक्रमण रिपोर्ट तहसीलदार भोपालगढ को प्रस्तुत की कि राजस्व ग्राम बासनी चोलावता में स्थित खसरा नम्बर 27 रकबा 1.00 बीघा भूमि किस्म गैर मुमकिन भाखर पर कृषि वर्ष 2074 में अतिक्रमण किया है। उक्त रिपोर्ट के आधार पर तहसीलदार भोपालगढ ने प्रकरण दर्ज कर जरिये नोटिस अन्तर्गत धारा 91 भू राजस्व अधिनियम के तहत अपीलान्ट को तलब किया। तहसीलदार भोपालगढ ने दिनांक 25.01.2018 को अपीलान्ट को पश्चात्कर्मी अतिक्रमी मानकर तीन

माह हेतु सिविल कारावास की सजा से एवं जुर्माने से दण्डित किये जाने का आदेश पारित कर दिया जिससे व्यथित होकर अपीलाधीन आदेश पारित करने में कानूनी भूल करने, अपीलान्ट के विरुद्ध पश्चातवर्ती अतिक्रमण का कोई मामला नहीं बनने पर भी पश्चातवर्ती अतिक्रमी मानने, बिना कोई ऐवीडेन्स रेकर्ड किये पहली पेशी पर अपीलान्ट को जवाब एवं शहादत पेश करने का अवसर नहीं देने, विवादग्रस्त भूमि पर पूर्व में बेदखली संबंधी कोई रेकर्ड पत्रावली पर पेश नहीं होने, अपीलान्ट को पेशी पर बुलाकर खाली आज्ञा सूची पर हस्ताक्षर व अंगुष्ठ निशान करवाकर बाद में फैसला लिखकर पत्रावली में शामिल किया जाने, तहसीलदार द्वारा तमाम कार्यवाही एवं अपीलाधीन आदेश बहुत ही हाई हेण्डेड एक्शन में करते हुए प्रकरण दर्ज करने से पूर्व ही अपीलान्ट को जेल भेज देने का मानस बना लेने, अपीलान्ट द्वारा विवादग्रस्त भूमि पर कोई निर्माण कार्य नहीं करवाया किन्तु कुछ असामाजिक तत्वों द्वारा सरकारी भूमि पर अतिक्रमण करने के प्रयास को रोकने हेतु केवल सुखे पत्थरों की दीवार बनाई जिसे भी मौके पर हटा लिया इसके बावजूद अपीलार्थी के विरुद्ध सिविल कारावास की सजा का आदेश देने, वर्तमान में मौके पर भूमि खाली पड़ी होने एवं असामाजिक तत्वों द्वारा भविष्य में खाली पड़ी जमीन पर अतिक्रमण करने की प्रबल संभावना होने आदि आधारों पर अपील प्रस्तुत कर अपील अपीलान्ट स्वीकार कर अपीलाधीन आदेश दिनांक 25.01.2018 को खारिज किया जाने का निवेदन किया गया है।

अपीलान्ट की अपील को दर्ज रजिस्टर किया जाकर रेस्पोंडेन्ट की तलबी जरिये नोटिस की गई। तहसीलदार, भोपालगढ से मूल रेकर्ड भी तलब किया गया।

अपीलान्ट की ओर से अधिवक्ता श्री सिद्धार्थ परिहार ने अपनी बहस में अपील के तथ्यों को दोहराते हुए अपील अपीलान्ट स्वीकार कर तहसीलदार भोपालगढ द्वारा दिनांक 25.01.2018 को पारित आदेश को खारिज किया जाने का निवेदन किया गया है।

रेस्पोंडेन्ट की ओर से राजकीय अधिवक्ता श्री पर्वतसिंह भाटी ने अपनी बहस में कथन किया कि राजस्व गांव बासनी चोलावता तहसील भोपालगढ के खसरा नम्बर 27 रकबा 1.00 बीघा भूमि किस्म गैर मुमकिन भाखर पर अपीलान्ट द्वारा पश्चातवर्ती अतिक्रमण करने पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जो आदेश पारित किया गया है वह पूर्णतया विधि सम्मत होने के कारण अपीलान्ट की अपील खारिज करने का निवेदन किया गया है।

हमने उभय पक्ष के अधिवक्ताओं की बहस सुनी। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का अवलोकन करने व गहनता से अध्ययन करने के पश्चात् हम इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि पटवारी हल्का व भू अभिलेख निरीक्षक भोपालगढ की रिपोर्ट के आधार पर तहसीलदार भोपालगढ द्वारा राजस्व ग्राम बासनी चोलावता के खसरा नम्बर 27 रकबा 1.00 बीघा भूमि किस्म गैर मुमकिन भाखर पर अपीलान्त का पश्चात्वर्ती अतिक्रमण एवं कब्जा मानते हुए अपीलाधीन आदेश जारी किया गया है। उक्त भूमि पर अपीलान्त ने अपना अतिक्रमण हटा लिया है या 15 दिवस में अतिक्रमण हटा लेता है तो अपीलाधीन आदेश सिविल कारावास की सीमा तक निरस्त माना जाएगा। यदि उक्त भूमि पर किये गये अतिक्रमण को अपीलान्त नहीं हटाता है तो अपीलाधीन आदेशानुसार तहसीलदार भोपालगढ को नियमानुसार कार्यवाही करने हेतु आदेश दिया जाता है। निर्णय की प्रति मय अभिलेख तहसीलदार भोपालगढ को भिजवायी जावे। पत्रावली फ़ैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो तथा बाद तकमील तामिल दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 30.05.2019 को सरे इजलास सुनाया गया।

(महिपाल कुमार)

अपर जिला कलक्टर (द्वितीय)
जोधपुर